



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042020-219214
CG-DL-E-28042020-219214

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1209]
No. 1209]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 24, 2020/वैशाख 4, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 24, 2020/VAISAKHA 4, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2020

का.आ. 1353(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के हिंगोली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 161 (New) के कि.मी. 139.600 से कि.मी.180.600 तक के भू-खण्ड (वसपांगरा - वारंगाफाटा सेक्शन) के निर्माण (चौड़ीकरण/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपविभागीय अधिकारी तथा भूमि अर्जन अधिकारी, कलमनुरी को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम

प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यावसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के हिंगोली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 161 (New) के कि.मी. 139.600 से कि.मी.180.600 तक (वसपांगरा - वारंगाफाटा सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: हिंगोली			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: कलमनुरी					
गांव का नाम: आखाडा बालापूर					
1	84/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0765000(हेक्टेयर)	0.0765000
गांव का नाम: डोंगरगांव पुल					
1	28	निजी	एग्रीकल्चर	0.1890000(हेक्टेयर)	0.1890000
2	36	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	3.0331000(हेक्टेयर)	3.0331000
3	72	निजी	एग्रीकल्चर	0.0621000(हेक्टेयर)	0.0621000
गांव का नाम: कलमनुरी					
1	260	निजी	एग्रीकल्चर	0.2700000(हेक्टेयर)	0.2700000
2	262	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0006000(हेक्टेयर)	0.0006000
गांव का नाम: कुंभारवाडी					
1	51	निजी	एग्रीकल्चर	0.0027000(हेक्टेयर)	0.0027000
गांव का नाम: मालेगाँव					
1	91	निजी	एग्रीकल्चर	0.1659000(हेक्टेयर)	0.1659000
गांव का नाम: नरवाडी					
1	237	निजी	एग्रीकल्चर	0.0038000(हेक्टेयर)	0.0038000

2	238	निजी	एग्रीकल्चर	0.0020000(हेक्टेयर)	0.0020000
3	249	निजी	एग्रीकल्चर	0.0256000(हेक्टेयर)	0.0256000
4	259	निजी	एग्रीकल्चर	0.0001000(हेक्टेयर)	0.0001000
5	260	निजी	एग्रीकल्चर	0.0144000(हेक्टेयर)	0.0144000
6	262	निजी	एग्रीकल्चर	0.0020000(हेक्टेयर)	0.0020000
7	263	निजी	एग्रीकल्चर	0.0150000(हेक्टेयर)	0.0150000
8	264	निजी	एग्रीकल्चर	0.0253000(हेक्टेयर)	0.0253000
9	265	निजी(प्राइवेट)	एग्रीकल्चर	0.0104000(हेक्टेयर)	0.0104000
गांव का नाम: पालोदी					
1	213	निजी	एग्रीकल्चर	0.0379000(हेक्टेयर)	0.0379000
गांव का नाम: पीम्परी खुर्द					
1	98	निजी	एग्रीकल्चर	0.0003000(हेक्टेयर)	0.0003000
गांव का नाम: सालवा					
1	216	निजी	एग्रीकल्चर	0.0150000(हेक्टेयर)	0.0150000
2	217	निजी	एग्रीकल्चर	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
3	218	निजी	एग्रीकल्चर	0.0550000(हेक्टेयर)	0.0550000
4	243	निजी	एग्रीकल्चर	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
5	91	निजी	एग्रीकल्चर	0.0150000(हेक्टेयर)	0.0150000
गांव का नाम: शिवणी खुर्द					
1	107	निजी	एग्रीकल्चर	0.3105000(हेक्टेयर)	0.3105000
2	186	निजी	एग्रीकल्चर	0.0351000(हेक्टेयर)	0.0351000
गांव का नाम: वारंगा फाटा					
1	11	निजी	एग्रीकल्चर	0.0027000(हेक्टेयर)	0.0027000
2	496	निजी	एग्रीकल्चर	0.0550000(हेक्टेयर)	0.0550000
3	61	निजी	एग्रीकल्चर	0.0898000(हेक्टेयर)	0.0898000
4	63	निजी	एग्रीकल्चर	0.1100000(हेक्टेयर)	0.1100000
5	8	निजी	एग्रीकल्चर	0.1100000(हेक्टेयर)	0.1100000
गांव का नाम: येलकी					

1	112	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	1.5525000(हेक्टेयर)	1.5525000
2	147	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.2268000(हेक्टेयर)	0.2268000
3	148	निजी	एग्रीकल्चर	0.4050000(हेक्टेयर)	0.4050000
कुल				7.0091	7.0091

[फा. सं. NHAI/PIU/Ned/LA/NH-161/2016/3A]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2020

S.O. 1353(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 161 (New) in the stretch of land from Km 139.600 to Km180.600 (Vaspangra – Waranga Phata Section) in the district of HINGOLI in the State of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub-Divisional Officer & Land Acquisition Kalamnuri in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be covered under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the Stretch of Land from Km. 139.600 to Km.180.600 (Vaspangra - Waranga Phata Section) of the National Highway No. 161 in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA		District: HINGOLI			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Kalamnuri					
Village: Aakhada Balapur					
1	84/1	Private	Agriculture	0.0765000(Hectare)	0.0765000
Village: Dongargaon Pul					
1	28	Private	Agriculture	0.1890000(Hectare)	0.1890000
2	36	Government	Non Agriculture	3.0331000(Hectare)	3.0331000
3	72	Private	Agriculture	0.0621000(Hectare)	0.0621000
Village: Kalamnuri					
1	260	Private	Agriculture	0.2700000(Hectare)	0.2700000
2	262	Government	non Agriculture	0.0006000(Hectare)	0.0006000

Village: Kumbharwadi					
1	51	Private	Agriculture	0.0027000(Hectare)	0.0027000
Village: Malegaon					
1	91	Private	Agriculture	0.1659000(Hectare)	0.1659000
Village: Narwadi					
1	237	Private	Agriculture	0.0038000(Hectare)	0.0038000
2	238	Private	Agriculture	0.0020000(Hectare)	0.0020000
3	249	Private	Agriculture	0.0256000(Hectare)	0.0256000
4	259	Private	Agriculture	0.0001000(Hectare)	0.0001000
5	260	Private	Agriculture	0.0144000(Hectare)	0.0144000
6	262	Private	Agriculture	0.0020000(Hectare)	0.0020000
7	263	Private	Agriculture	0.0150000(Hectare)	0.0150000
8	264	Private	Agriculture	0.0253000(Hectare)	0.0253000
9	265	Private	Agriculture	0.0104000(Hectare)	0.0104000
Village: Palodi					
1	213	Private	Agriculture	0.0379000(Hectare)	0.0379000
Village: PimpriKhurd					
1	98	Private	Agriculture	0.0003000(Hectare)	0.0003000
Village: Salwa					
1	216	Private	agriculture	0.0150000(Hectare)	0.0150000
2	217	Private	Agriculture	0.0500000(Hectare)	0.0500000
3	218	Private	Agriculture	0.0550000(Hectare)	0.0550000
4	243	Private	Agriculture	0.0400000(Hectare)	0.0400000
5	91	Private	Agriculture	0.0150000(Hectare)	0.0150000
Village: Shivani Khurd					
1	107	Private	Agriculture	0.3105000(Hectare)	0.3105000
2	186	Private	Agriculture	0.0351000(Hectare)	0.0351000
Village: Waranga Phata					
1	11	Private	Agriculture	0.0027000(Hectare)	0.0027000
2	496	Private	Agriculture	0.0550000(Hectare)	0.0550000
3	61	Private	Agriculture	0.0898000(Hectare)	0.0898000
4	63	Private	Agriculture	0.1100000(Hectare)	0.1100000
5	8	Private	Agriculture	0.1100000(Hectare)	0.1100000
Village: Yelki					
1	112	Government	Non Agriculture	1.5525000(Hectare)	1.5525000
2	147	Government	Non Agriculture	0.2268000(Hectare)	0.2268000
3	148	Private	Agriclture	0.4050000(Hectare)	0.4050000
Total				7.0091	7.0091

[F. No. NHAI/PIU/Ned/LA/NH-161/2016/3A]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.